समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा द्वारा दिनांक 28-07-2014 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

अनुपस्थित पदाधिकारी :-

1-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा, 2-जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा, 3-आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा, 4-श्रम अधीक्षक, मधेपुरा, 5-सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा, 6-डी0एम0एस0यू0 कोशी पुनर्वास, मधेपुरा, 7-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मधेपुरा, 8-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सिंहेश्वर, 09-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा, 10-कार्यपालक अभियंता, पुल निगम, मधेपुरा, 11-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, शंकरपुर, 12-खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मधेपुरा, 13-वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा, 14-जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा, 15-सहायक अभियंता, दूरभाष, 16-कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, राघोपुर, 17- बैठक से अनुपस्थित पाये गये।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया एवं उन्हें अवगत कराया गया कि आज प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु जिलाधिकारी महोदय सहरसा गये हुये हैं। अतएव निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक की समीक्षा की जाएगी। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(2) कोषागार एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :-

अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक- 6720, दिनांक- 25-07-2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में निधि की निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में निदेश दिया गया है, जिसमें वित्त विभागीय पत्रांक- 2561, दिनांक 17-04-1998 की कंडिका (2) में उल्लेखित प्रावधान, 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक बजट से प्रावधानित राशि का 33 प्रतिशत, 01 अगस्त से 30 नवम्बर तक बजट से प्रावधानित राशि का कुल 32 प्रतिशत तथा 01 दिसम्बर से 31 मार्च तक बजट से प्रावधानित राशि का 35 प्रतिशत अर्थात् बजट में प्रावधानित कुल राशि का शत प्रतिशत आवंटित करने का निदेश दिया गया था, इसे शिथिल कर दिया गया है। उक्त विभागीय पत्र के अन्य प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। प्राप्त आवंटन के विरुद्ध वास्तविक व्यय के संबंध में कोषागार पदाधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को पूर्व माह की विवरणी प्रस्तुत करेंगे, ताकि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा किये गये जा रहे व्यय का अनुश्रवण किया जा सके। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि कोषागार नियमावली के आलोक में मासिक व्यय प्रतिवेदन का नियमित रूप से महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से मिलान कराया जाए। कोषागार पदाधिकारी एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को इस निदेश का अनुपालन करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कोषागार पदाधिकारी /सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)

(8) विधि शाखा :-

अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता द्वारा उनके पत्रांक 7093 दिनांक 23-07-2014 द्वारा श्री रविशंकर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में एम0जे0सी0 नं0-4739/2013 के संबंध में अतिक्रमण हटाने से संबंधित निदेश दिया गया है। विधि प्रभारी को निदेश दिया गया कि इसका अनुपालन ससमय कराया जाय एवं उसकी सूचना माननीय न्यायालय को भेजी जाय।

(अनुपालन-प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा)

(9) GPF Missing Contribution Report :-

जिला भविष्य निधि, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 206 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को मिसिंग कन्ट्रीब्युशन संबंधी प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 150 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा मिसिंग कन्ट्रीब्युशन संबंधी प्रपत्र को फरवाडेड तथा 18 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर से प्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 154 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी में से 83 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा मिसिंग कन्ट्रीब्युशन संबंधी प्रपत्र फरवाडेड किया गया है, जबकि 71 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पुनः स्मारित किया गया है। विभागवार मिसिंग कन्ट्रीब्युशन से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार बताया गया :-

क्र0	विभाग का नाम	अंशदाता	प्राप्त प्रतिवेदन	लंबित प्रतिवेदन
1	जिला कार्यक्रम पदा0, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा	19	16	03
2	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्य एवं उच्च विद्यालय, मधेपुरा (कुल शिक्षक-26)	174+83=257	144+78= 222	30+5 =35
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	46	40	06

सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों का अगले सप्ताह तक निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। सभी संबंधित पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि यदि अन्य जिलों से संबंधित मामलें लंबित हों, तो वहां के जिलाधिकारी को जिलाधिकारी, मधेपुरा की ओर से पत्र भेजा जाए।

(अनुपालन- सभी संबंधित पदाधिकारी)

(10) परिवहन /रोड /एन0एच0 :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि साकेत सौरव, मधेपुरा वार्ड नं0-03 द्वारा अपने पत्र दिनांक 24-07-2014 के द्वारा सड़कों पर सिग्नल के संबंध में, सुझाव दिया गया है के संबंध में सभी सड़क बनाने वाले अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वे सड़क निर्माण के पश्चात् दिये गये सुझाव के अनुसार संबंधित चिन्ह् (Signal) लगाना सुनिश्चित करेंगे ताकि वाहनों के आवागमन में कठिनाई नहीं हो। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें।

(अनुपालन-जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्य0अभि0, पथ /एन0एच0/ ग्रामीण कार्य विभाग)

(11) आर0टी0पी0एस0 :-

आर0टी0पी0एस0 प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि घैलाढ़ में- 113, मुरलीगंज में-245, ग्वालपाड़ा में 279 एवं आलमनगर में-117, चौसा में-88 मामले Expire दिखाये गये हैं, जो खेद का विषय है। अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे इसका निष्पादन शीघ्र करावें। सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को भी निदेश दिया गया कि वे भी भ्रमण के दौरान आर0टी0पी0एस0 का अवश्य

❖ सी0डब्लू0जे0सी0 :-

➢ प्रभारी विधि शाखा, मधेपुरा द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा को तीन सी0डब्लू0जे0सी0 के संबंध में अवगत कराया गया। बताया गया कि इसका अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय एवं जिला कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

(अनुपालन-प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा)

❖ कोषागार :-

➢ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि अभी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया, ग्वालपाड़ा, आलमनगर, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा द्वारा TAN नम्बर गलत दिया गया है, जिसे सही भेजने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित करें कि कोषागार कार्यालय को उक्त सूचना सही उपलब्ध करायी जाए।

(अनुपालन-कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदा0)

❖ गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन :-

➢ अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा द्वारा गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/30/7/14	ह0/30/7/14	ह0/30/07/14
निजी सहायक	**प्रभारी पदाधिकारी**	**अपर समाहर्त्ता, आपदा,**
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	**जिला गोपनीय शाखा,मधेपुरा**	**मधेपुरा।**

ज्ञापांक 2105 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 30/07/2014

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /सहायक जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम,